



# बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)


प०नि०वि० यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक), शेखपुरा, पटना-800014  
दूरभाष नं० - 0612-2226711, फैक्स नं०- 0612-2226723

## कार्यालय आदेश - 488

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के विज्ञापन सं० -PR-5013(N.N.) 13-14 द्वारा विज्ञापित एकाउण्ट्स एग्जीक्यूटिव के पद पर श्री उमेश कुमार, पिता-श्री विन्देश्वरी प्रसाद, दलहट्टा, मिर्जावान की छावनी, पटना सिटी, पोस्ट ऑफिस-मारुफगंज, पिन-800008, पटना, बिहार को निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन संविदा के आधार पर एकमुश्त मासिक परिलब्धि रू० 10,000/- (रुपये दस हजार) पर दिनांक 11 दिसंबर, 2013 से एक वर्ष के लिये बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० में नियोजित किया जाता है :-

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिये है, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्ष्यमान अवधि होगी इस अवधि में कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही अगले नौ महीने का नियोजन विस्तारित किया जा सकेगा।
2. यदि संविदा के अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जायें और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।
4. यह नियोजन पूर्णतः औपबंधिक होगा जिसकी सम्पुष्टि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन, पुलिस सत्यापन तथा परीक्ष्यमान अवधि के संतोषजनक समाप्ति के पश्चात् ही होगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जांच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रामिक की वसूली नियमानुसार की जायेगी। साथ ही साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जायेगी।
5. संविदा पर नियोजित व्यक्ति का पदस्थापन तथा स्थानान्तरण का पूर्ण अधिकार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
6. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रैक्ट पीरियड) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
7. योगदान के पश्चात् नियोजित व्यक्ति को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के साथ विहित प्रपत्र में एक अनुबंध हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा, जिसकी सभी शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति द्वारा उक्त अनुबंध के किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध एवं नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
8. योगदान के समय नियोजित व्यक्ति को निबंधित चिकित्सक द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा। साथ ही योगदान के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों को जांच हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. 11 दिसंबर, 2013 समय पूर्वाह्न 11:00 बजे तक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, प० नि० वि० यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक) शेखपुरा, पटना-800014 में योगदान नहीं देने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
10. पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अनु०-यथोक्त।

  
(केशव प्रसाद)  
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

# MEDICAL CERTIFICATE

## Under Article 49 Civil Service Regulations

I do hereby certify that I have examined.....  
.....  
.....  
..... a candidate for employed in the Department and cannot discover that he/she has any disease, constitutional affection or bodily infirmity except .....

I consider/do not consider this a disqualification for employment in the office of .....

His/her age is, according to his/her own statement..... years, and by appearance About ..... years.

Place :.....

Date : .....

Surgeon

### DECLARATION BY CANDIDATE

I, "....."

a candidate for employment in the Government of Bihar do hereby declare that I have not any time been pronounced unfit for Government by the Medical Board at the India Office in England or any other constituted medical authority.

Date : .....

Signature of Candidate

**N.B. - Words not applicable should be through,**

#### Note to article 49. Civil Service Regulations:-

When an officer in whom a defect has been noticed by the examining officer is transferred from one office to another the duties of which are different, in character a commissioned Medical Officer in – charge of a civil station (or in the case of an office employed in a State Railway) should report whether the defect will material interfere with the officer transferred.

**Note : - I exeray case if the opinion of the Medical Officer is Medical Board through the Departmental head (prosecative) of the applicat, and the decision of the Board shall be final.**

**Name of candidate to be written in fill.**